रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268218 CG-DL-E-04122025-268218

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356।

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 356]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

[विदेश व्यापार महानिदेशालय]

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर,, 2025

सं. 33 / 2025-2026

विषय:- प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.87(क) और 4.88 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/028/एएम 26/पीसी—4.— समय समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. प्रक्रिया पुस्तक —2023 के पैरा 4.87(क) और 4.88 में संशोधन निम्नानुसार हैं:

8102 GI/2025 (1)

क्र.	पैरा	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
सं.	सं.		
1	4.87 (ক)	डीटीए में सभी फर्मों और सभी ईओयू / एसईजेड इकाइयों से विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सल व्यक्तिगत रुप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, बंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर हवाई अड्डों के माध्यम से ले जाने की अनुमित है। निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाएगा।	डीटीए में सभी फर्मों और सभी ईओयू/एसईजेड इकाइयों से विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सल व्यक्तिगत रुप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बट्र, बंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों के माध्यम से ले जाने की अनुमति है। निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाएगा।
2	4.88	डीटीए में स्थित सभी फर्मों और सभी ईओय/एसईजेड इकाइयों में भारतीय आयातक / विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को व्यक्तिगत रुप से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर हवाई अड्डों के माध्यम से ले जाने की अनुमित है। प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल के आयात के समान होगी, सिवाए इसके कि जाँच और निकासी के लिए पार्सलों को आयातक / विदेशी नागरिक द्वारा सीमाशुल्क को सौंपा जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत आयात की निकासी सामान्य सीमाशुल्क निकासी पद्धित के अनुसार होगी।	डीटीए में स्थित सभी फर्मों और सभी ईओयू/एसईजेड इकाइयों में भारतीय आयातक / विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को व्यक्तिगत रुप से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों के माध्यम से ले जाने की अनुमति है। प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल के आयात के समान होगी, सिवाए इसके कि जाँच और निकासी के लिए पार्सलों को आयातक / विदेशी नागरिक द्वारा सीमाशुल्क को सौंपा जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत आयात की निकासी सामान्य सीमाशुल्क निकासी पद्धित के अनुसार होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः रत्नों और आभूषणों के आयात और निर्यात पार्सलों को अब अहमदाबाद हवाई अड्डे के माध्यम से भी व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की अनुमित है।

अजय भादू , महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE]

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st December, 2025

No. 33/2025-2026

Subject: - Amendments in Paras 4.87 (a) and 4.88 of Handbook of Procedures 2023.

- **F. No. 01/94/180/028/AM26/PC-4.**—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment with immediate effect.
 - 2. The amendments in Paras 4.87 (a) and 4.88 of HBP-2023, are as under:

S.	Para	Existing Para	Amended Para
No.	No.		
1	4.87 (a)	parcels by Foreign Bound Passengers from all EOU/SEZ units and all firms in DTA through Airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, and Jaipur is permitted. Procedure for	EOU/SEZ units and all firms in DTA through Airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Ahmedabad is permitted. Procedure for Personal Carriage of exports
2	4.88	parcels by an Indian importer/Foreign National may be permitted into all EOUs/SEZ units and all firms in DTA through airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, and Jaipur.	EOUs/SEZ units and all firms in DTA through airports in Delhi, Mumbai, Kolkata,

Effect of this Public Notice: Import and export of gems and jewellery parcels for personal carriage are now also permitted through Ahmedabad Airport.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.